



राजस्थान सरकार

## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdplan.cce@gmail.com](mailto:jdplan.cce@gmail.com) Phone : 0141-2706847 (o)

एफ 6(4) आयो/आकाशि/विद्यार्थी निधि/2024/15799

### आदेश

उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान द्वारा Rajasthan State Student Funds (Government colleges) Rule, 2019 जारी किये गये है। इस नियम के लागू होने के पश्चात "छात्रनिधि" के स्थान पर "विद्यार्थी निधि" का उपयोग होना चाहिए लेकिन प्रायः देखा गया है कि अभी भी विभागीय पत्राचार में "छात्रनिधि" शब्द का उपयोग हो रहा है। अतः भविष्य में विभागीय पत्राचार में "छात्रनिधि" के स्थान पर "विद्यार्थी निधि" शब्द का प्रयोग किया जावे।

(पुखराज सेन)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मा. उपमुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी (आयुष), परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक/शाखा प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान।
8. वेबसाईट प्रभारी, आकाशि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref  
7045698



**Signature valid**

Digitally signed by Pukhraj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.05.09 19:23:36 IST  
Reason: Approved